


<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p>सहीराम बनाम दौलतराम वगै अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए मुकदमा नम्बर - 239 / 2023</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>08/08/24</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी उपभय पक्ष उपस्थित । बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुवे निवेदन किया गया कि प्रार्थी के नाम कि पुरानी पैत्रिक खातेदारी कृषि भूमि जो कि रोही ग्राम उच्छरंगदेसर के खसरा नम्बर - 254 में 8.0700 हैक्टेयर बरानी - 1 नियमानुसार राजस्व रेकर्ड राज में दर्ज है उक्त वर्णित भूमि जो कि प्रार्थी कि पैत्रिक रूप से भूमि आवंटन के समय कि बहुत पुरानी कृषि भूमि है जो कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड राज में प्रार्थी के नाम से दर्ज है जिसकी जमाबन्दी वा रेवन्यू रेकार्ड प्रमाण में सलग्न है। पुरानी पैत्रिक खातेदारी कृषि भूमि जो कि रोही ग्राम उच्छरंगदेसर के खसरा नम्बर - 254 में 8.0700 हैक्टेयर मुताबिक सलग्न जमाबन्दी सम्मत - 2077-2080, खाता संख्या-261 नया राजस्व रेकार्ड राज में प्रार्थी के अकेले के नाम से राजस्व रेकार्ड राज में दर्ज है इसी कृषि भूमि को काश्त करके प्रार्थी अपना व अपने परिवार का जीवनयापन करता आ रहा है प्रार्थी कि उक्त भूमि में बहुत पुरानी पक्की आवासीय ढाणी बनी हुई है करीब 25-30 साल पुराना पानी का कुण्ड बना हुआ है प्रार्थी का अपने खेत रोही ग्राम उच्छरंगदेसर के खसरा नम्बर - 254 में 8.0700 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि में पहुँचने के लिये व कृषि कार्य के लिये आने जाने व आवागमन करने व पशुधन टेक्टर गाडा फसले लाने ले जाने आदि के लिये कोई स्थायी रूप से विधि अनुसार कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है। प्रार्थी अब तक निरन्तर कई वर्षों से अपनी उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि में खसरा नम्बर - 455 / 249 कि पूर्वी दिशा कि सिंव में स्वीकृत रास्ता के बाद आगे अप्रार्थीगण के नाम शामिल खाता की कृषि भूमि जो कि रोही ग्राम उच्छरंगदेसर के खसरा नम्बर - 456 / 249 में 6.6284 हैक्टेयर स्थित है जिसकी सम्पूर्ण पूर्वी सिंव सिंव होकर उसके आगे दक्षिण दिशा से पश्चिमी दिशा कि और जाने वाली सिंव सिंव होते हुवे प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर - 254 कि सिंव में प्रवेश करके अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर - 254 में प्रवेश करके आवागमन कर कृषि कार्य करता आ रहा है चूकि रोही ग्राम उच्छरंगदेसर के खसरा नम्बर - 456 / 249 में 6.6284 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि जो कि अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकार्ड राज में दर्ज है इस कारण प्रार्थी सदैव रास्ता के लिये अप्रार्थीगण के मोहताज बना रहता है क्योंकि इसके अलावा प्रार्थी के पास अपने खातेदारी खेत तक पहुचने के लिये कोई रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थी को सदैव रास्ता के लिये अप्रार्थीगण के साथ मिनते पड़ती है उसके बाद प्रार्थी वा उसके परिवार के सदस्य बड़ी मुश्किल से अपने खेत तक कृषि कार्य के लिये पहुँच पाते है वा पशुधन टेक्टर गाडा आदि सामान खेत तक ले जा पाते है। प्रार्थी की उक्त वर्णित रोही ग्राम उच्छरंगदेसर के खसरा नम्बर - 254 कि 8.0700 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने के लिये और कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है जिसके कारण प्रार्थी अपने ही खातेदारी खेत तक सही समय पर नहीं पहुच पाता है जिसके कारण प्रार्थी अपने ही खातेदारी खेत तक सही समय पर नहीं पहुच पाता है जिसके कारण प्रार्थी को भयंकर फसली नुकसान के साथ आर्थिक वा मानसिक और शारीरिक नुकसान भी होता है और प्रार्थी अपने आप को असहाय महसूस करता है और सदैव प्रार्थी को अपने ही खेत में प्रवेश करने के लिये अप्रार्थीगण के सामने हाथाजोडी करनी पड़ती है। रोही ग्राम उच्छरंगदेसर के खसरा नम्बर - 456 / 249 में 6.6284 हैक्टेयर शामिल खाता कि कृषि भूमि के खातेदार मालिक अप्रार्थीगण है जो कि प्रार्थी को उसके अपने ही उपरोक्त वर्णित खातेदारी खेत रोही ग्राम उच्छरंगदेसर खसरा नम्बर-254 कि 8.0700 हैक्टेयर कृषि भूमि में आने जाने वा पशुधन वा फसले आदि ले जाने वा आवागमन के लिये बाधा उत्पन कर रहे है जिससे प्रार्थी का अपने ही खेत में पशुधन, गाडा, टेक्टर, फसले आदि वा अन्य खेती का सामान आदि ले जाना वा आवागमन करना बहुत ही मुश्किल हो गया है वा कृषि कार्य करना भी मुश्किल हो रहा है वा खातेदारी अधिकारो की रक्षा करना भी मुश्किल हो रहा है जिससे प्रार्थी को शारीरिक मानसिक नुकसान के साथ भयंकर आर्थिक नुकसान वा फसली नुकसान भी हो रहा है इसलिये प्रार्थी अपने खातेदारी खेत रोही ग्राम उच्छरंगदेसर खसरा नम्बर - 254 कि 8.0700 हैक्टेयर में खेती व कृषि कार्य के आवागमन के लिये अप्रार्थीगण के नाम की कृषि भूमि रोही ग्राम उच्छरंगदेसर के खसरा नम्बर - 456 / 249 में 6.6284 हैक्टेयर जिसकी सम्पूर्ण पूर्वी सिंव उसके आगे दक्षिणी दिशा से पश्चिमी दिशा कि और जाने वाली सिंव ( प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर-254 कि सिंव तक ) दो-दो विस्वा रास्ता नियमानुसार प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर-254 कि सिंव तक ( जिसका नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है) ताकि स्वीकृत करवाना चाहता है (जिसका नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है) ताकि भविष्य में रास्ता को लेकर अप्रार्थीगण के सामने किसी प्रकार की हाथाजोडी नहीं करनी पड़े क्योंकि रोही ग्राम उच्छरंगदेसर के खसरा नम्बर - 456 / 249 में 6.6284 हैक्टेयर भूमि वर्तमान रेवन्यू रेकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम से शामिल खाता में दर्ज है इसलिये प्रार्थी उपरोक्त वर्णित अनुसार वा सलग्न नजरी नक्सा के अनुसार दो-दो विस्वा रास्ता प्रार्थी उपरोक्त वर्णित अनुसार वा सलग्न करवाना चाहता है उक्त रास्ता स्वीकृत होने पर ही प्रार्थी खेत में पहुचने के लिये स्वीकृत करवाना चाहता है उक्त रास्ता स्वीकृत होने पर ही प्रार्थी अपने खातेदारी खेत में पहुच सकेंगा और अपनी खातेदारी कृषि भूमि में कृषि कार्य कर सकेंगा आवागमन कर सकेंगा व फसली लाभ ले सकेंगा रास्ते के बदले जाने वाली कृषि भूमि के बदले प्रार्थी नियमानुसार न्यायालय हाजा के आदेशानुसार रुपये जमा करवाने के लिये तैयार है के अलावा जो भी आदेश होगा उसकी पालना करने के लिये प्रार्थी न्यायहित में तैयार है। अत प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर.टी. ए में प्रस्तूत कर निवेदन किया गया कि ग्राम उच्छरंगदेसर के खसरा नम्बर - 456 / 249 में 6.6284 हैक्टेयर जिसकी सम्पूर्ण पूर्वी सिंव उसके आगे दक्षिण दिशा से पश्चिमी दिशा कि और जाने वाली सिंव में (प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर - 254 कि सिंव तक ) दो-दो विस्वा रास्ता (जिसका नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है)</p>	

*Sajendra*  
अधिकारी  
न्यायकरणसर